

जोशीराम व अन्य बनाम मोहनलाल व अन्य
प्रकरण संख्या 001/2023

21.02.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपरिथत पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा उपरोक्त अनवानी वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि— काश्तकारी अधिनियम बावत कृषि भूमि वाके चक 1 सी बड़ी के खाता संख्या 100/75 के मुख्या नं0 15 की कुल 1.063 हैक्टेयर में से 0.321 हैक्टेयर नहरी, 0.679 हैक्टेयर द्वारा 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित होने एवं रथाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु उपरोक्त अनवानी वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत कृषि भूमि को जरिए पंजीकृत उपहार— पत्र दिनांकित 06.05.2022 के द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 को हस्तान्तरित की जा चुकी है जिसे (उपहार पत्र दिनांक 06.05.2022) को प्रभाव शून्य घोषित किये जाने हेतु सिविल वाद संख्या 62/2023 अनवानी वली बनाम जमना देवी मय रथगन प्रार्थना पत्र वादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को जरिए पंजीकृत उपहार—पत्र के माध्यम से कय कर ली गई है जिसे बिना साक्ष्य न्यायालय से निरस्त करवाये वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नहीं है अर्थात् श्रीमान न्यायालय द्वारा उपरोक्त अनवानी वाद पत्र में कोई भी अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। विधि अनुसार आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये जाते समय केवल मात्र वाद पत्र में अंकित अभिकथनों का विचारण कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है जिस हेतु किसी भी प्रकार की साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेजों के विचारण किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्तानुसार वादीगण का वाद पत्र विधि द्वारा वाधित होने के कारण इसी स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 01 के जीवनकाल में उसके नाम दर्ज खाता संख्या 52/49 के मुख्या नम्बर 15 के किला नं0 1 ता 13 की कुल 3.188 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा वादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा वाद संख्या 184/2013 अनवानी जोशीराम आदि बनाम मोहन लाल आदि प्रस्तुत कर राजीनामा के आधार पर श्रीमान न्यायालय से दिनांक 10.09.2015 को डिकी प्राप्त कर ली गयी है। इस आधार पर भी वादीगण प्रश्नगत भूमि के विधिक अधिकारों का कोई हक व अधिकार नहीं रखते हैं अर्थात् वाद पत्र प्राथमिक रूप से ही निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र उपरोक्त वर्णित आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।


अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब बहस में कथन किए कि— वादी द्वारा एक वाद अर्न्तगत धारा 88,188,92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चक 1 सी बड़ी के खाता संख्या— 100/75 के मुख्या नम्बर—15 की कुल 1.063 हैक्टेयर में से 0.321 हैक्टेयर नहरी 0.679 हैक्टेयर बरानी एवं 0.063 हैक्टेयर खाला हेतु एक वाद प्रस्तुत किया है। वादी संख्या 01 के दादा रामचन्द्र पुत्र श्री कालूराम को भारत सरकार द्वारा चक 1 सी बड़ी में 12 1/2 बीघा रकबा अलाट किया गया था तथा उसमें वादी संख्या 01 के पिता मोहन लाल को रकबा प्राप्त हुआ था उसे दान करने का उपहार करने का कोई अधिकार नहीं था तथा वादी संख्या 01 का पिता मोहन लाल शराब व नशा करने का आदि था तथा प्रतिवादी संख्या 02 ने उसे जाल में फंसा रखा था उसके द्वारा किये गये तथ्यों के आधार पर कोई दस्तावेज बना लिया है तो कानूनन वादी के अधिकारों पर बेअसर है वादी द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है जिसे सुनने का अधिकार जनाबवाला को है। वादी अपने अधिकारों की घोषणा के लिए राजस्व न्यायालय में ही वाद प्रस्तुत कर सकता है जो वाद प्रस्तुत किया गया है बिल्कुल सही किया गया है तथा दावा सुनने का अधिकार जनाबवाला को है। प्रतिवादी द्वारा अभी

XV
हायक कलक्टर एवं
मैर्यापालक दण्डनायक
(गाम्ट ट्रेक) श्रीमान

तक कोई प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी को इस सम्बन्ध में कोई भी ऐतराज है तो वह अपना जवाब दावा में प्रस्तुत कर सकता है इस स्टेज पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है तथा पूर्व में जो वाद 184/2013 जोशीराम बनाम मोहन लाल प्रस्तुत किया गया था उसमें केवल राजीनामें के आधार पर निर्णय किया गया था उस दावे का इस दावे पर कोई प्रभाव नहीं है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित करना कि वादी द्वारा सिविल कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर रखा है प्रतिवादी द्वारा सिविल कोर्ट में आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि सिविल न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार नहीं है बल्कि राजस्व न्यायालय को है। जब प्रतिवादी खुद राजस्व न्यायालय का वाद होना बताया जा रहा है तो इस आधार पर ही प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा वाद का जवाब पेश नहीं किया जो भी ऐतराज है वह अपने जवाब दावा में उठा सकते हैं। इस स्टेज पर प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कवर नहीं होता इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रतिवादी मोहन लाल का स्वर्गवास हो गया है उसका कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जब तक उसके कायम मुकाम नहीं बनाये जाते तब तक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का नहीं लगाया जा सकता। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2021(2) DNJ (Rev.) 887, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2021(2) DNJ (Rev.) 2021(2) DNJ (Rev.) 1401, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2021(1) DNJ (Rev.) 694, पेश किये। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर के निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 02 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का मय खर्चा खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के निस्तारण मे केवल वादपत्र पढा जाता है एवं वाद पत्र के कथनों की सही अभिधारणा कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट होता है प्रश्नगत कृषि भूमि को जरिये पंजीकृत उपहार-पत्र दिनांकित 06.05.2022 के द्वारा हस्तान्तरित की जा चुकी है एवं उपहार पत्र को प्रभाव शुन्य घोषित किये जाने हेतु सिविल वाद संख्या 62/2023 अनवानी बली बनाम जमनादेवी मय स्थगन प्रार्थना पत्र वादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। अतः उक्त वाद के निस्तारण पश्चात ही अधिकारों की घोषणा बाबत वाद न्यायालय में जैरकार रहना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिती में अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रार्थना पत्र चस्पा नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र संख्या 01/2023 अनवान जोशीराम व अन्य बनाम मोहनलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आरटीए वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्तीबद्ध हो। पत्रावली दायरा पंजिका के क्रम से क्रम की जाकर निर्णय की सूची में शामिल हो।


 स्वाति गुप्ता
 आर.ए.एस.
 सहायक कलक्टर एवं
 कार्यपालक दण्ड न्यायिक
 (कास्ट ट्रेक) प्रायोगिक
 (फास्ट ट्रेक) श्रांगानगर